भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-361

उत्तर देने की तारीख-03/12/2025

भारतीय शिक्षा सेवा का सृजन

361 श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च शिक्षा संस्थानों में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव के पदों पर नियुक्ति के लिए भारतीय शिक्षा सेवा जैसी कोई सेवा गठित करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार उच्चतर शिक्षा संस्थानों में उच्च पदों पर नियुक्ति में पारदर्शिता किस प्रकार सुनिश्चित करेगी?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख): भारतीय शिक्षा सेवा की स्थापना का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। उच्चतर शिक्षा संस्थान (एचईआई) संसद के संबंधित केंद्रीय अधिनियमों के तहत स्थापित वैधानिक स्वायत्त संगठन हैं और उनके अंतर्गत बनाए गए अधिनियमों/संविधियों/अध्यादेशों/विनियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होते हैं। उच्चतर शिक्षा संस्थानों में कुलाधिपति, कुलपति, प्रतिकुलपति और कुलसचिव के पदों पर आसीन व्यक्तियों की नियुक्ति उनके संबंधित अधिनियमों/परिनियमों/अध्यादेशों/विनियमों या उनके अंतर्गत बनाए गए भर्ती नियमों के प्रावधानों का पालन करते हुए पारदर्शी तरीके से की जाती है।

2. शिक्षा मंत्रालय ने दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से "सीयू-चयन" पोर्टल शुरू किया है। यह एक एकीकृत भर्ती पोर्टल है जिसे भारत भर के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में संकाय भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित, मानकीकृत और पारदर्शी बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जो नियोक्ताओं को संभावित नौकरी के उम्मीदवारों से जोड़ता है, भर्ती प्रक्रिया को सरल और अधिक कुशल बनाता है। इसी प्रकार, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की भर्ती के लिए भी एक पोर्टल शुरू किया गया है।

******